

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 28-02-2026

विषय सूची

नई सकल घरेलू उत्पाद (GDP) श्रृंखला द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 की वृद्धि दर को 7.6 प्रतिशत तक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लैंगिक सशक्तिकरण पर केसबुक
भारत-भूटान सहयोग: जलविद्युत परियोजनाएँ
16वाँ वित्त आयोग (FC): शहरी स्थानीय सरकारों को प्रोत्साहन

संक्षिप्त समाचार

ड्यूरेंड रेखा

भारत-यूरोपीय संघ: मोस्ट फेवर्ड नेशन (Most Favoured Nation) का दर्जा

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026

एप्सटीन-बार वायरस (EBV) वैक्सीन की दिशा में प्रगति

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

मेनिंगोकोकल रोग

INS अंजादीप

ग्रिड ऑक्सिलेशन

राज्य नवाचार मिशन (SIM)


नई सकल घरेलू उत्पाद (GDP) श्रृंखला द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 की वृद्धि दर को 7.6 प्रतिशत तक उन्नत

संदर्भ

- नई श्रृंखला के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

परिचय

- नई श्रृंखला ने 2023-24 की वृद्धि दर को पुराने अनुमान 9.2% से घटाकर 7.2% कर दिया है, जबकि 2024-25 की वृद्धि दर को पूर्व अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है।
- GDP अनुमान के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है ताकि भारत की बदलती आर्थिक संरचना को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके।
- संशोधित GDP श्रृंखला ने नए और उन्नत आँकड़ों को सम्मिलित कर अनुमान को और सशक्त बनाया है।



GDP कैसे गणना की जाती है?

- भारत का GDP दो विधियों से गणना किया जाता है:
 - **फैक्टर कॉस्ट विधि:** इसमें कृषि, विनिर्माण और वित्तीय सेवाओं सहित आठ उद्योगों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

- **व्यय विधि:** इसमें घरेलू उपभोग और सरकारी व्यय जैसे क्षेत्रों में व्यय का विश्लेषण कर आर्थिक प्रदर्शन का आकलन किया जाता है।

- GDP डेटा संग्रह का प्रबंधन भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है।

- भारत का GDP डेटा त्रैमासिक रूप से दो माह की देरी से और वार्षिक रूप से 31 मई को जारी किया जाता है।

क्षेत्रों का योगदान:

- सेवाएँ क्षेत्र: 61.5%
- औद्योगिक क्षेत्र: 23%
- कृषि क्षेत्र: 15.4%

आधार वर्ष क्या है?

- आधार वर्ष वह मानक वर्ष होता है जिसका उपयोग आर्थिक और सांख्यिकीय गणनाओं में तुलना हेतु किया जाता है।

- यह एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है जिसके आधार पर GDP, CPI और IIP जैसे संकेतकों के वर्तमान मानों को समय के साथ वास्तविक परिवर्तनों को ट्रैक करने हेतु मापा जाता है।

महत्त्व:

- मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर वास्तविक वृद्धि को देखना संभव होता है।

- यह सुनिश्चित करता है कि आँकड़े अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना, उपभोग पैटर्न और कीमतों को दर्शाएँ।



GDP की गणना हेतु आर्थिक आँकड़े

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** देश की घरेलू सीमा के अंदर एक निश्चित अवधि (सामान्यतः तिमाही या वर्ष) में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।
 - ♦ **जारीकर्ता:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), MoSPI
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):** औद्योगिक क्षेत्र (खनन, विनिर्माण, विद्युत) में उत्पादन की मात्रा को मापता है।
 - ♦ **जारीकर्ता:** NSO, MoSPI
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):** उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के लिए समय के साथ चुकाए गए मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापता है।
 - ♦ **जारीकर्ता:** NSO, MoSPI

भारत की सांख्यिकीय संरचना से जुड़ी चिंताएँ

- **GDP पद्धति प्रणाली:** वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य है, लेकिन सहायक सांख्यिकीय प्रणालियाँ कमजोर और पुरानी हैं।
- **विनिर्माण डेटा विकृति:** कॉर्पोरेट विनिर्माण का अच्छा मापन होता है, लेकिन अनौपचारिक विनिर्माण का कमजोर मापन होता है।
- **GDP विसंगतियाँ:** उत्पादन-पक्ष और व्यय-पक्ष डेटा के बीच अंतर बढ़ रहा है।
- **GVA और IIP में अंतर:** IIP भौतिक उत्पादन को ट्रैक करता है, मूल्य वर्धन को नहीं।
- **IMF रेटिंग विरोधाभास:** GDP पद्धति पर भारत अच्छा स्कोर करता है, लेकिन समग्र सांख्यिकीय गुणवत्ता पर कमजोर।
- **सांख्यिकीय आधुनिकीकरण की आवश्यकता:** अर्थव्यवस्था सांख्यिकीय उपकरणों से तीव्रता से विकसित हुई है।

2026 आधार वर्ष संशोधन एक अवसर

- **कमोडिटी-फ्लो दृष्टिकोण से बदलाव:** यह प्रणाली अधिकांश वस्तुओं के उपभोग का अनुमान लगाने हेतु

कमोडिटी-फ्लो पद्धति से हट जाएगी।

- पूर्व ढाँचे में 2011-12 के अध्ययन से प्राप्त स्थिर अनुपातों का उपयोग कर वस्तुओं को मध्यवर्ती उपभोग, अंतिम उपभोग और अन्य उपयोगों के बीच बाँटा जाता था।
- संशोधित प्रणाली इसके स्थान पर गतिशील दरों और अनुपातों का उपयोग करती है, जिससे उपभोग पैटर्न में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अनुमान विकसित हो सकें।
- **‘विसंगतियों’ का उन्मूलन:** MoSPI वार्षिक GDP संकलन में आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं (SUTs) को सीधे सम्मिलित करने की योजना बना रहा है।
 - ये तालिकाएँ दर्शाती हैं कि विभिन्न वस्तुएँ और सेवाएँ घरेलू उद्योगों एवं आयातों द्वारा कैसे आपूर्ति की जाती हैं तथा उन्हें मध्यवर्ती या अंतिम उपयोगों (निर्यात सहित) में कैसे वितरित किया जाता है।
 - यह दृष्टिकोण प्रारंभिक अनुमानों में विसंगतियों को सीमित करने और अंतिम अनुमानों में उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।
- **डिजिटल और प्रशासनिक आँकड़ों का उपयोग:** डेटासेट पर बढ़ती निर्भरता, जैसे:
 - ♦ e-वाहन (वाहन पंजीकरण)
 - ♦ GST और अन्य प्रशासनिक अभिलेख
 - ♦ अद्यतन सर्वेक्षण आँकड़ों की रीढ़
- **नई श्रृंखला में सम्मिलित प्रमुख सर्वेक्षण:** घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 और 2023-24
 - ♦ औपचारिक और अनौपचारिक उद्यमों के अद्यतन सर्वेक्षण
 - ♦ ये सर्वेक्षण पूर्व मानकों की तुलना में उपभोग व्यवहार और उत्पादन गतिविधि पर अधिक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करने की अपेक्षा रखते हैं।
- **संशोधित ढाँचे का क्षेत्रीय कवरेज:** संशोधित त्रैमासिक संकलन ढाँचा क्षेत्रीय वर्गीकरण, अपस्फीति रणनीतियों और अनुमान पद्धतियों के संदर्भ में वार्षिक

राष्ट्रीय खातों की पद्धति के साथ अधिक निकटता से संरेखित किया गया है।

- **GDP अनुमान में घरेलू श्रमिकों का समावेश:** नई श्रृंखला में असंगठित उद्यमों, स्वरोजगार व्यक्तियों और अनौपचारिक श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत अपने GDP अनुमान SNA 2008 के अनुरूप संकलित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग SNA 2025 की ओर बढ़ रहा है, जिसे 2029-30 के आसपास वैश्विक स्तर पर अपनाया जाएगा। भारत आगामी आधार वर्ष संशोधन में इस मानक के अनुरूप होने का प्रयोजन रखता है।

आगे की राह

- GDP आधार वर्ष को 2022-23 में संशोधित करना भारत की तीव्रता से बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप राष्ट्रीय खातों को संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- नई श्रृंखला आर्थिक गतिविधि का अधिक सटीक, सुसंगत और व्यापक मापन प्रदान करती है।
- आधार वर्ष को अद्यतन कर और विसंगतियों को समाप्त कर नया ढाँचा तीव्रता से औपचारिक और डिजिटाइज होती अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के साथ बेहतर ढंग से संरेखित है।

स्रोत: TH

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लैंगिक सशक्तिकरण पर केसबुक

संदर्भ

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लैंगिक सशक्तिकरण पर केसबुक का शुभारंभ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में किया गया।

परिचय

- विकसित किया गया द्वारा: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत इंडियाएआई

मिशन द्वारा, यूएन विमेन के सहयोग से तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के समर्थन से।

- यह केसबुक ग्लोबल साउथ से 23 वास्तविक AI समाधानों को एक साथ प्रस्तुत करता है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर मापनीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।
- **प्रमुख क्षेत्र जिनमें समाधान शामिल हैं:**
 - स्वास्थ्य सेवा, जिसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य भी सम्मिलित है।
 - आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन।
 - डिजिटल सुरक्षा और प्रौद्योगिकी-सुविधायुक्त लैंगिक-आधारित हिंसा की रोकथाम।
 - जलवायु लचीलापन और सतत कृषि।
 - न्याय तक पहुँच और कानूनी सेवाएँ।
 - शिक्षा और कौशल विकास।

प्रमुख पहलें

- **NyayaSakhi-SWATI:** भारत का प्रथम बड़ा भाषा मॉडल और पुनर्प्राप्ति-संवर्धित पीढ़ी आधारित निर्णय-सहायक तंत्र, जो घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए बनाया गया है।
 - यह संभावित वैधानिक राहों और अनुमानित मामले की अवधि का आकलन प्रदान करता है, जिससे सुरक्षित, सूचित एवं वित्तीय रूप से यथार्थवादी निर्णय लिए जा सकें।
 - यह पीड़ितों को मामला दर्ज करने से पहले संभावित कानूनी परिणामों को समझने में सहायता करता है।
 - वर्तमान में महाराष्ट्र में लागू, विशेष रूप से निम्न-आय और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं की सेवा करता है।
- **HELPSTiR:** एक AI-संचालित प्लेटफॉर्म जो नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को असुरक्षित महिलाओं और बच्चों की ओर से हाइपरलोकल सहायता अनुरोध दर्ज करने एवं उन्हें स्वचालित रूप से निकटवर्ती NGOs, आश्रयों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तथा कल्याण संगठनों से जोड़ने में सक्षम बनाता है।

- डिजिटल पहुँच बाधाओं को हटाकर यह प्रणाली लैंगिक-संवेदनशील लाभ वितरण को तेज करती है।
- वर्तमान में दिल्ली में पायलट चरण में लागू है, और भविष्य में टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार की संभावना है।
- **YASHODA AI:** एक मानव-केंद्रित, मिश्रित AI समाधान जो सुलभ AI उपकरणों को प्रत्यक्ष शिक्षण के साथ जोड़ता है, ताकि महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा और AI-सक्षम जोखिमों की समझ को बढ़ाया जा सके।
 - यह मुख्यतः एक शिक्षण और निर्णय-सहायक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाना है, न कि निर्णय-निर्धारण या प्रवर्तन को स्वचालित करना।
 - पायलट विकास के बाद, 12 भारतीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 29 शहरों में 5,500 महिलाओं को YASHODA AI द्वारा सेवा प्रदान की गई।

ऐसी पहलों की आवश्यकता

- **लैंगिक डिजिटल विभाजन का समापन:** महिलाओं को डिजिटल पहुँच, कौशल और ऑनलाइन सुरक्षा में कम अवसर मिलते हैं। YASHODA AI जैसे उपकरण डिजिटल साक्षरता एवं साइबर-जोखिम जागरूकता की खाई को भरते हैं।
- **न्याय और कल्याण तक पहुँच में सुधार:** घरेलू हिंसा पीड़ित और असुरक्षित महिलाएँ प्रायः कानूनी स्पष्टता और सेवाओं तक पहुँच से वंचित रहती हैं। NyayaSakhi-SWATI और HELPSTiR जैसे उपकरण सूचना विषमता एवं अंतिम स्तर पर बहिष्करण को कम करते हैं।
- **एल्गोरिथमिक पक्षपात का समाधान:** AI प्रणालियाँ लैंगिक पक्षपात उत्पन्न कर सकती हैं। निष्पक्षता और समावेशन सुनिश्चित करने हेतु लैंगिक-संवेदनशील डिजाइन और पक्षपात ऑडिट आवश्यक हैं।
- **सार्वजनिक सेवा वितरण को सुदृढ़ करना:** AI लक्षित स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और कल्याण

हस्तक्षेपों को सक्षम बनाता है, विशेषकर संसाधन-सीमित परिस्थितियों में।

महत्त्व

- **महिला-नेतृत्व वाले विकास का क्रियान्वयन:** भारत की विकास दृष्टि के अनुरूप महिलाओं को AI निर्माता, नेता और लाभार्थी के रूप में स्थापित करता है।
- **नैतिक AI में ग्लोबल साउथ नेतृत्व:** MeitY और इंडियाएआई मिशन द्वारा संचालित पहलों के माध्यम से भारत जिम्मेदार एवं विस्तार योग्य AI मॉडलों का प्रदर्शन करता है।
- **SDG 5 (लैंगिक समानता) को आगे बढ़ाना:** नीति-आधारित वक्तव्यों से आगे बढ़कर न्याय, स्वास्थ्य, वित्त और डिजिटल सुरक्षा में मापनीय प्रभाव उत्पन्न करता है।
- **विस्तार योग्य और पुनरुत्पादक शासन ढाँचे:** ऐसे परीक्षण किए गए परिनियोजन मॉडल प्रदान करता है जिन्हें नीति-निर्माता विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में दोहरा सकते हैं।
- **AI पारिस्थितिकी तंत्र में नैतिकता का समावेश:** यह प्रदर्शित करता है कि समावेशन, पारदर्शिता और मानवीय पर्यवेक्षण नवाचार एवं विस्तार के साथ सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

स्रोत: PIB

भारत-भूटान सहयोग: जलविद्युत परियोजनाएँ

संदर्भ

- भारत और भूटान ने जल संसाधन प्रबंधन और जलविद्युत विकास में अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को पुनः पुष्टि की है। यह घोषणा भूटान की उच्च स्तरीय यात्रा पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरान की गई।

भारत-भूटान जलविद्युत संबंध

- **प्रारंभिक सहयोग:** भारत-भूटान जलविद्युत सहयोग 1961 में जलढाका समझौते पर हस्ताक्षर के साथ प्रारंभ हुआ।

- जलढाका परियोजना भारत की सीमा के अंदर पश्चिम बंगाल में स्थित है और उत्पन्न अधिकांश विद्युत दक्षिणी भूटान को निर्यात की गई।
- 1987 में 336 मेगावाट चुखा जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन एक प्रमुख माइलस्टोन था।
 - यह भूटान की प्रथम मेगा पावर परियोजना थी।
 - इसे भारत द्वारा 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में वित्तपोषित किया गया था, जिसमें ऋण पर 5% ब्याज दर थी और परियोजना शुरू होने के 15 वर्ष बाद भुगतान किया जाना था।
- 1,020 मेगावाट ताला जलविद्युत परियोजना ने द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ किया।
 - इसे भी भारत सरकार द्वारा 60:40 अनुदान-ऋण मॉडल में वित्तपोषित किया गया और इसने भूटान की निर्यात आय में उल्लेखनीय वृद्धि की।

भारत-भूटान के बीच संस्थागत ढाँचा

- जुलाई 2006 में दोनों देशों ने जलविद्युत शक्ति (HEP) के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने सहयोग हेतु औपचारिक ढाँचा प्रदान किया।
- अप्रैल 2014 में दोनों देशों ने संयुक्त उद्यम (JV) जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) के माध्यम से एक फ्रेमवर्क अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख चल रही और नियोजित परियोजनाएँ

- **पुनात्सांगचू-I (1,200 मेगावाट):** भूवैज्ञानिक समस्याओं के कारण इसमें उल्लेखनीय विलंब और लागत वृद्धि हुई है। 2025 के अंत तक मुख्य बाँध संरचना पर कार्य पुनः आरंभ हुआ।
- **संयुक्त उद्यम मॉडल परियोजनाएँ:**
 - 600 मेगावाट खोलोंगचू जलविद्युत परियोजना
 - 180 मेगावाट बुनाखा जलविद्युत परियोजना
 - 570 मेगावाट वांगचू जलविद्युत परियोजना
 - 770 मेगावाट चामखारचू जलविद्युत परियोजना

भूटान की जलवैज्ञानिक शक्तियाँ

- भूटान की स्थलाकृति और जलवायु बड़े पैमाने पर जलविद्युत के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं।
- प्रमुख भूटानी नदियाँ जैसे पुनात्सांगचू, वांगचू/रैदाक, द्रांगमेचू/मानस, आमोचू/सांकोश आदि हिमपोषित और मानसून-आधारित हैं तथा इनमें तीव्र ढाल है।
- भूटान की हिमनदी झीलें और हिमपिघलन अतिरिक्त जल स्रोत प्रदान करते हैं, यद्यपि वे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के जोखिम भी उत्पन्न करते हैं।

भारत के लिए महत्त्व

- **ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्य:** भूटान भारत को स्वच्छ और नवीकरणीय विद्युत प्रदान करता है, जिससे भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा एवं जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम होता है।
 - आयातित जलविद्युत भारत की सौर और पवन क्षमता को स्थिर और लचीली ऊर्जा प्रदान कर पूरक बनाता है।
- **पूर्वोत्तर में ग्रिड स्थिरता:** भारत का पूर्वोत्तर ग्रिड लचीली जलविद्युत क्षमता से लाभान्वित होता है, जो मौसमी माँग और नवीकरणीय परिवर्तनशीलता को प्रबंधित करने में सहायक है।
- **थर्मल निर्भरता में कमी:** जलविद्युत आयात कोयला-आधारित थर्मल उत्पादन पर निर्भरता कम करता है। इससे कार्बन उत्सर्जन घटता है और ईंधन आयात लागत कम होती है।
- **रणनीतिक और आर्थिक आयाम:** जलविद्युत भूटान का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है, जिसका अधिकांश हिस्सा भारत को निर्यात से आता है। यह सहयोग हिमालयी क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत के रणनीतिक प्रभाव को सुदृढ़ करता है।

चुनौतियाँ

- **पर्यावरणीय जोखिम:** जलवायु परिवर्तन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) और पारिस्थितिक क्षति का खतरा बढ़ाता है।

- **जलवैज्ञानिक परिवर्तनशीलता:** वर्षा और हिमनदी पिघलन के बदलते पैटर्न दीर्घकालिक उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
- **स्थानीय चिंताएँ:** भूमि अधिग्रहण, पारिस्थितिक प्रभाव और आजीविका संबंधी मुद्दों का संवेदनशील प्रबंधन आवश्यक है।
- **भूतान के लिए ऋण स्थिरता:** जलविद्युत परियोजनाओं हेतु उच्च ऋण लेने से बाहरी ऋण स्तरों पर चिंता बढ़ी है।

आगे की राह

- जलविद्युत सहयोग भारत-भूतान संबंधों का आधारस्तंभ बना हुआ है।
- यह पारस्परिक विश्वास, आर्थिक परस्पर-निर्भरता और साझा रणनीतिक हितों को दर्शाता है।
- सीमापार नदी प्रबंधन को सुदृढ़ करना और पर्यावरणीय रूप से सतत जलविद्युत विकास सुनिश्चित करना आगामी दशकों में इस पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा।

स्रोत: DD News

16वाँ वित्त आयोग (FC): शहरी स्थानीय सरकारों को प्रोत्साहन


संदर्भ

- हाल ही में संसद में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग (FC) की रिपोर्ट ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को दिए जाने वाले अनुदानों के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह भारत के राजकोषीय संघवाद में शहरी शासन के पक्ष में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत है।

16वें वित्त आयोग की प्रमुख बातें (ULBs हेतु)

- **शहरी स्थानीय निकायों के लिए बढ़ा हुआ हिस्सा:** ULBs को दिए जाने वाले अनुदानों का हिस्सा 45% कर दिया गया है; (15वें FC में 36% और 13वें FC में 26%)।
- **कुल आवंटन में तीव्र वृद्धि:**

• A bigger share for urban local govts



SOURCE: JANAAGRAHA

- ULBs हेतु अनुशंसित अनुदान: ₹3.56 लाख करोड़।
- 15वें FC के ₹1.55 लाख करोड़ से अधिक दोगुना।
- 13वें FC के आवंटन से लगभग 15 गुना अधिका।
- यह भारत में शहरी शासन हेतु अब तक का सबसे बड़ा राजकोषीय समर्थन है।

वित्त आयोग: संवैधानिक जनादेश

- संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक पाँच वर्ष में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
- यह अनुशंसा करता है:
 - केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण (ऊर्ध्वाधर विकेंद्रीकरण)।
 - राज्यों के बीच वितरण (क्षैतिज विकेंद्रीकरण)।
 - राज्यों और स्थानीय निकायों को अनुदान।
- 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के बाद से वित्त आयोग पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों हेतु भी अनुदान की अनुशंसा करता है।

16वें FC में हिस्सेदारी बढ़ाने का तर्क

- **विकास ध्रुव के रूप में शहर:** शहर भारत के GDP का लगभग दो-तिहाई योगदान करते हैं, जिससे वे आर्थिक वृद्धि के इंजन बनते हैं।
- **बढ़ता शहरीकरण और जनसंख्या:** भारत में शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर स्तर पर अधिक राजकोषीय क्षमता की आवश्यकता है।
 - जनगणना 2011: 31% जनसंख्या शहरी।
 - 2031 तक अनुमानित शहरीकरण: 41%।
 - वैश्विक तुलना: चीन (45%), इंडोनेशिया (54%), ब्राजील (87%)।

- **शहरीकरण में आँकड़ों की कमी:** विश्व बैंक की 2015 की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि 78% तक जनसंख्या शहरों और शहरी समूहों में रह रही हो सकती है।
 - विश्वसनीय और अद्यतन आँकड़ों की कमी (आगामी जनगणना की प्रतीक्षा) नीति नियोजन एवं राजकोषीय आवंटन को प्रभावित करती है।
 - 16वें FC का उच्च आवंटन भविष्य के शहरी विकास को पूर्वानुमानित रूप से संबोधित करता है, भले ही जनगणना 2027 अधिक शहरीकरण (जैसे 48%) दिखाए।

प्रमुख शहरी चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **राज्यों में असमान वितरण:** अनुदान जनसंख्या-आधारित सूत्र पर वितरित होते हैं, जिससे राज्यों के बीच उल्लेखनीय भिन्नता होती है।
 - प्रमुख लाभार्थी: केरल (400% से अधिक वृद्धि), महाराष्ट्र (300% से अधिक वृद्धि)।
 - सीमित लाभ/कमी: ओडिशा (13% वृद्धि), बिहार (8% कमी)।
- **जल आपूर्ति और स्वच्छता:** अधिकांश शहरों में अस्थायी जल आपूर्ति; उच्च गैर-राजस्व जल (NRW) हानि; और सीवेज उपचार में कमी।
- **शहरी आवास और झुग्गियाँ:** ~6.5 करोड़ लोग झुग्गियों में रहते हैं (जनगणना 2011); अनौपचारिक बस्तियों का तीव्र विस्तार; और अपर्याप्त सस्ती आवासा।
- **शहरी परिवहन और भीड़भाड़:** टियर-1 और टियर-2 शहरों में यातायात भीड़; बढ़ता वायु प्रदूषण; तथा कमजोर सार्वजनिक परिवहन एकीकरण।
- **ULBs की कमजोर वित्तीय स्थिति:** सीमित स्व-राजस्व, राज्य हस्तांतरण पर भारी निर्भरता, संपत्ति कर कवरेज में कमी, और कमजोर नगरपालिका बॉन्ड बाजार।
- **74वें संवैधानिक संशोधन का कमजोर क्रियान्वयन:** कई राज्यों ने बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों का पूर्ण विकेंद्रीकरण नहीं किया है।
- **क्षमता की कमी:** प्रशिक्षित शहरी योजनाकारों की

कमी, सीमित डिजिटल शासन एकीकरण, और कमजोर डेटा प्रणाली।

- **जलवायु संवेदनशीलता:** शहरी बाढ़ (जैसे चेन्नई, बेंगलुरु), हीट वेव्स, और तटीय संवेदनशीलता।

शहरी शासन हेतु निहितार्थ

- **तृतीय स्तर को सुदृढ़ करना:** ULBs की राजकोषीय स्वायत्तता बढ़ाता है और उन्हें मूलभूत सेवाएँ (जल, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन), शहरी अवसंरचना, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं गतिशीलता प्रदान करने की क्षमता में सुधार करता है।
- **जनगणना के बाद वित्तीय तनाव में कमी:** यदि भविष्य की जनगणना अधिक शहरीकरण दिखाती है, तो पहले से बढ़े हुए आवंटन के कारण ULBs को अचानक संसाधन अंतराल का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- **राजकोषीय संघवाद को गहरा करना:** यह शहरी भारत को प्रमुख विकास चालक के रूप में मान्यता देने की दिशा में बदलाव को दर्शाता है। यह *आत्मनिर्भर भारत* के लक्ष्यों और *AMRUT* तथा *स्मार्ट सिटीज मिशन* जैसी शहरी सुधार पहलों के अनुरूप है।

शहरी सुधार और प्रमुख मिशन

- **स्मार्ट सिटीज मिशन (2015):** क्षेत्र-आधारित विकास, ICT-सक्षम शासन और सतत अवसंरचना।
- **AMRUT:** जल आपूर्ति, सीवेज और शहरी हरित क्षेत्रों पर ध्यान।
- **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):** खुले में शौच-मुक्त (ODF) प्रमाणन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधार।
- **PM स्वनिधि:** स्ट्रीट वेंडर्स को सूक्ष्म-ऋण प्रदान करता है और शहरी शासन को सामाजिक सुरक्षा ढाँचों से जोड़ता है।

नागरिक सहभागिता और डिजिटल शासन

- हालिया सुधार ई-गवर्नेंस पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत निवारण, GIS-आधारित संपत्ति कर प्रणाली और सहभागी बजट (पुणे मॉडल) पर बल देते हैं।
- MoHUA डिजिटल डैशबोर्ड और ओपन डेटा प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देता है।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

ड्यूरंड रेखा

समाचार में

- हाल ही में पाकिस्तान ने *ऑपरेशन ग़ज़ब लिल-हक्र* शुरू किया, जो विवादित ड्यूरंड रेखा के साथ अफ़ग़ान तालिबान लक्ष्यों पर सीमा-पार हमलों की श्रृंखला है।

परिचय

- 2,640 किमी लंबी ड्यूरंड रेखा 1893 में ब्रिटिश राजनयिक सर मॉर्टिमर ड्यूरंड और अफ़ग़ान अमीर अब्दुर रहमान खान द्वारा खींची गई थी।
- यह पाकिस्तान को अफ़ग़ानिस्तान से पृथक करती है, लेकिन पश्तून जनजातियों को विभाजित करती है।
- अफ़ग़ानिस्तान ने इसे कभी भी वैध सीमा के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया और इसे औपनिवेशिक थोपन मानता है।
- इस रेखा पर विवाद ने दशकों से तनाव को बढ़ावा दिया है, जिसमें बाड़ लगाने के प्रयास और उग्रवादी गतिविधियों का पारगमन शामिल है।

स्रोत: TH

भारत-यूरोपीय संघ: मोस्ट फेवर्ड नेशन (Most Favoured Nation) का दर्जा

संदर्भ

- भारत और यूरोपीय संघ *मुक्त व्यापार समझौते (FTA)* के प्रभावी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए एक-दूसरे को 'सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र' /मोस्ट फेवर्ड नेशन (Most Favoured Nation) का दर्जा देने वाले हैं।

'सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र' (MFN) का दर्जा क्या है?

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुसार, MFN सिद्धांत गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार की गारंटी देता है, जिसके अंतर्गत देशों को सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ समान व्यवहार करना होता है।

मुख्य सिद्धांत:

- यदि कोई देश किसी व्यापारिक साझेदार को विशेष रियायत (जैसे कम सीमा शुल्क) देता है, तो उसे वही लाभ अन्य सभी WTO सदस्यों को भी देना होगा।
- देश सामान्यतः अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते।
- MFN अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समानता, पूर्वानुमेयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- MFN सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की नींव है और प्रमुख WTO समझौतों में निहित है:
 - GATT (शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता) के अनुच्छेद 1 में।
 - GATS (सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता) के अनुच्छेद 2 में।
 - TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता)के अनुच्छेद 4 में।

स्रोत: TH

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026

संदर्भ

- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, भौतिक विज्ञानी सर सी.वी. रमन द्वारा खोजे गए *रमन प्रभाव* की स्मृति में।

परिचय

- सर सी.वी. रमन को 1930 में *रमन प्रभाव* की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- सर्वप्रथम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया, जिसने एक परंपरा की शुरुआत की जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है।
- इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों के महत्व का संदेश फैलाना है।
- 2026 की थीम:** "विज्ञान में महिलाएँ: विकसित भारत का उत्प्रेरण"

सी.वी. रमन के बारे में

- उन्होंने 1926 में *इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स* की स्थापना की।
- 1933 में वे *भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)* के प्रथम भारतीय निदेशक बने।
- 1948 में उन्होंने *रमन अनुसंधान संस्थान* की स्थापना की।
- 1954 में भारत सरकार ने उन्हें *भारत रत्न* से सम्मानित किया।

रमन प्रभाव

- जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम (जैसे तरल या गैस) से गुजरती है, तो बिखरी हुई रोशनी का एक छोटा हिस्सा अपनी तरंगदैर्घ्य बदल लेता है।
- यह परिवर्तन प्रकाश और माध्यम में उपस्थित अणुओं के कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा स्तरों के परस्पर क्रिया के कारण होता है।

स्रोत: PIB**एप्सटीन-बार वायरस (EBV) वैक्सीन की दिशा में प्रगति****समाचार में**

- शोधकर्ता ऐसे *मोनोक्लोनल एंटीबॉडी* विकसित कर रहे हैं जो EBV संक्रमण को रोक सकते हैं।

एप्सटीन-बार वायरस (EBV)

- यह एक सामान्य वायरस है जो *संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस*, *मल्टीपल स्क्लेरोसिस*, *कैंसर* और अन्य गंभीर बीमारियों से जुड़ा है।
 - विकसित एंटीबॉडी का सफल परीक्षण चूहों पर किया गया है।
- अधिकांश संक्रमण बचपन में होते हैं और सामान्यतः लक्षण-रहित या हल्के होते हैं।
- EBV संक्रमण थकान, बुखार, गले में खराश, सूजे हुए लसीका ग्रंथियाँ, बढ़ा हुआ प्लीहा या यकृत, और चकत्ते उत्पन्न कर सकता है।

- लक्षण सामान्यतः 2-4 सप्ताह तक रहते हैं, यद्यपि थकान अधिक समय तक बनी रह सकती है। वायरस शरीर में *सुप्त* रहता है और विशेषकर कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में पुनः सक्रिय हो सकता है।
- यह मुख्यतः लार के माध्यम से फैलता है (चुम्बन, पेय साझा करना, बर्तन, टूथब्रश, खिलौने साझा करना)।
- विश्व की लगभग 95% जनसंख्या EBV से संक्रमित है। कुछ जनसंख्या समूहों में वायरस सक्रिय होने पर गंभीर जटिलताओं का अधिक जोखिम होता है।
- EBV का कोई टीका उपलब्ध नहीं है; रोकथाम संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क से बचने पर आधारित है।
- निदान रक्त परीक्षण द्वारा किया जाता है और उपचार विश्राम, तरल पदार्थ और लक्षणों से राहत पर केंद्रित होता है।

स्रोत: DD**प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)****संदर्भ**

- भारत सरकार ने *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)* के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) हेतु *केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)*-आधारित *डिजिटल फूड करेंसी* का पायलट प्रोजेक्ट पुडुचेरी में शुरू किया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

- PMGKAY भारत सरकार का प्रमुख खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया।
- इसका उद्देश्य *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)* के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना है।
- यह योजना सम्पूर्ण भारत में लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है।
- योजना को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 7 चरणों में लागू किया गया है।
- इसे 2024 से पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- **कवरेज:** अधिनियम ने ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी जनसंख्या के 50% (कुल जनसंख्या का लगभग 67%) को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया।
- **लाभार्थी श्रेणियाँ:**
 - **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार:** सबसे गरीब परिवारों को मान्यता दी गई है। इन्हें प्रति परिवार प्रति माह 35 किग्रा खाद्यान्न का अधिकार है।
 - **प्राथमिकता परिवार (PHH):** इन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा खाद्यान्न का अधिकार है।
- **सब्सिडी मूल्य:** लाभार्थी अत्यधिक सब्सिडी दरों पर भुगतान करते हैं, जो प्रारंभ में ₹3/किग्रा चावल, ₹2/किग्रा गेहूँ और ₹1/किग्रा मोटे अनाज तय किए गए थे।

स्रोत: PIB

मेनिंगोकोकल रोग

समाचार में

- मेघालय सरकार ने उच्च स्तरीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है, क्योंकि शिलांग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर में दो अग्निवीर प्रशिक्षुओं की संदिग्ध मेनिंगोकोकल संक्रमण से मृत्यु हो गई।

मेनिंगोकोसीमिया संक्रमण

- यह नाइसेरिया मेनिंजाइटिस द्वारा उत्पन्न एक गंभीर रक्त प्रवाह संक्रमण है, जो प्रायः बुखार, रक्तस्रावी चकत्ते और तीव्र सेप्टिक शॉक के साथ प्रकट होता है।
 - नाइसेरिया मेनिंजाइटिस रक्त प्रवाह का एक महत्वपूर्ण जीवाणु संक्रमण है, जो मेनिंजाइटिस, सेप्टीसीमिया या प्रायः दोनों के संयोजन के रूप में प्रकट होता है।
- यह श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है, जिसमें शिशु और किशोर सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।
- लक्षणों में उच्च बुखार, सिरदर्द, अकड़ा हुआ गला और चकत्ते शामिल हैं। यह निकट संपर्क से फैलता है।

- यह एक गंभीर और तीव्र गति से बढ़ने वाली बीमारी है, जो जीवन-घातक मेनिंजाइटिस (मस्तिष्क की झिल्ली का संक्रमण) या मेनिंगोकोसीमिया (रक्त विषाक्तता) का कारण बन सकती है।
- रोकथाम टीकाकरण और निकट संपर्क वालों के लिए एंटीबायोटिक पर आधारित है। शीघ्र निदान और एंटीबायोटिक व सहायक उपचार अत्यंत आवश्यक हैं।

स्रोत: TH

INS अंजादीप

समाचार में

- INS अंजादीप को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

INS अंजादीप

- 'अंजादीप', आठ ASW SWC (एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट) में से तीसरा है, जिसे कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।

- ASW SWC कोरवेट्स को नौसेना के पुराने अभय-श्रेणी जहाजों को प्रतिस्थापित करने हेतु स्वदेशी रूप से बनाया जा रहा है।
- इसे 'डॉल्फिन हंटर' के रूप में अभिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें निष्क्रिय करना है।
- यह एक अत्याधुनिक पोत है, जिसे विशेष रूप से तटीय और अल्प-गहराई जल क्षेत्रों में युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

स्रोत: PIB

ग्रिड ऑस्सिलेशन

संदर्भ

- राजस्थान में दर्ज की गई एक ग्रिड ऑस्सिलेशन तमिलनाडु के कुडनकुलम तक महसूस की गई।

ग्रिड ऑप्सिलेशन

- यह सौर और पवन उत्पादन में तीव्र उतार-चढ़ाव है, जो संचरण वोल्टेज और आवृत्ति अस्थिरता उत्पन्न करता है। इससे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो सकता है।
- **कारण:** भारत का विद्युत ग्रिड पर्याप्त रूप से “स्मार्ट” नहीं है कि कोयला और नवीकरणीय स्रोतों के बीच सुचारू रूप से स्विच कर सके। इसका कारण सीमित स्वचालन, कमजोर वास्तविक समय संतुलन और अपर्याप्त पूर्वानुमान प्रणाली है।
- **अन्य चिंताएँ:**
 - **कोयला संयंत्रों की अनम्यता:** कोयला संयंत्र बेसलोड सप्लाई के लिए बनाए गए हैं और तेजी से उत्पादन बढ़ा या घटा नहीं सकते, जिससे अस्थिर नवीकरणीय उत्पादन को संतुलित करना कठिन होता है।
 - **अपर्याप्त ऊर्जा भंडारण:** बड़े पैमाने पर बैटरी और भंडारण अवसंरचना की कमी अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को बाद में उपयोग हेतु संग्रहीत करने से रोकती है, जिससे अस्थिरता बढ़ती है।

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य

- भारत ने 2025 में 48 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। यह विगत वर्ष की वृद्धि से लगभग दोगुना है।
- गैर-जीवाश्म स्रोत अब स्थापित क्षमता का 52% (~264 GW) हैं, लेकिन वास्तविक विद्युत उत्पादन का लगभग 75% अभी भी कोयले से आता है क्योंकि यह मांग पर उपलब्ध है।

स्रोत: TH

राज्य नवाचार मिशन (SIM)

संदर्भ

- नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन (AIM) ने त्रिपुरा में प्रथम राज्य नवाचार मिशन (SIM) शुरू किया।

परिचय

- AIM 2.0 के अंतर्गत स्थापित SIM एक दीर्घकालिक संस्थागत तंत्र है, जिसका उद्देश्य नीति समर्थन, क्षमता निर्माण, साझेदारी और संदर्भ-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्य नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है।
- यह पहल नवाचार-आधारित विकास के माध्यम से विकसित भारत की दृष्टि को आगे बढ़ाती है।
- इस पहल के अंतर्गत प्रमुख हस्तक्षेप:
 - त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (TIFT) के अंतर्गत SIM का संस्थानीकरण।
 - T-NEST (त्रिपुरा – उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देना) का उद्घाटन, जो एक समर्पित इनक्यूबेशन सुविधा है।
 - जिला नवप्रवर्तक फैलोशिप का शुभारंभ, जिसका उद्देश्य बुनियादी स्तर के नवाचार को बढ़ाना है।
 - अगरतला को AI-सक्षम शहर में परिवर्तित करने हेतु समर्थन।

स्रोत: PIB

